

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 19(1)साप्र/2/15

जयपुर, दिनांक - 10/9/2015

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी एच श्रेणी की वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्बुद्ध अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार नियमानुसार किराये पर इस विभाग के आदेश प. 19(1)साप्र/2/2015 दिनांक 29.6.2015 के द्वारा आवंटित किए गए थे, जिनका निम्नांकित आवंटियों द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं लेने के कारण आवंटन एतद्वारा निरस्त किया जाता है : -

क्र.सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	2 / 2002	श्री बाबू लाल मीणा पुत्र श्री भौरीलाल मीणा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, शासन उप सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	एच-914, गांधीनगर	31.3.2030
2	24 / 2006	श्री राजवीर सिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्मिक (ख-1) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	एच-554, गांधीनगर	31.1.2042

राज्यपाल की आज्ञा से,

(निर्मला परचवानी)
वरिष्ठ शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. शासन संयुक्त सचिव, कार्मिक (ख-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
9. अधिशासी अभियन्ता, सा० नि० विभाग / जन स्वा० अभि० वि० / जयपुर विद्युत वितरण निगम लि०, गांधीनगर, जयपुर।
10. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गांधीनगर, जयपुर।
12. सम्बन्धित कर्मचारीगण।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
14. रक्षित पत्रावली।

वरिष्ठ शासन उप सचिव